प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमा दावा

प्रलिम्सि के लिये:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)।

मेन्स के लिये:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत बैंक खाताधारकों को प्रदान किये गए दुर्घटना बीमा कवर हेतु पिछले दो वित्तीय वर्षों में दायर किये गए 647 दावों में से केवल 329 का निपटान किया गया है।

- वित्त वर्ष 2021-22 में **341 दावे** दायर किये गए, जिनमें से **182 का निपटान** किया गया और 48 को खारिज कर दिया गया एवं वित्त वर्ष 2022-23 में 306 दावे दायर किये गए, **जिनमें से 147 का निपटान किया गया व 10 को खारिज कर दिया गया, इसके अलावा शेष 149 दावों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।**

प्रधानमंत्री जन-धन योजना:

- **परिचय:**
  - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) **वित्तीय समावेशन के लिये राष्ट्रीय मिशन** है। यह **वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग/बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन की सुलभ तरीके से पहुँच सुनिश्चित करता है।**
  - इस योजना के तहत किसी भी बैंक शाखा या **बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र)** आउटलेट में उन लोगों का एक **मूल बचत बैंक जमा (Basic Savings Bank Deposit- BSBD)** खाता खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है।
- **उद्देश्य:**
  - विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे- बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण तक पहुँच, प्रेषण सुविधा, बीमा एवं पेंशन की बहिष्कृत वर्गों यानी कमज़ोर वर्गों तथा निम्न-आय वाले समूहों तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - यह सभी सरकारी लाभों (केंद्र / राज्य / स्थानीय निकाय से) को लाभार्थियों के खातों के माध्यम से प्रदान करने और केंद्र सरकार की **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना** को आगे बढ़ाने की परिकल्पना करता है।
  - इस योजना के तहत वित्तीय समावेशन के लिये टेलीकॉम ऑपरेटरों और कैश आउट पॉइंट्स के रूप में स्थापित केंद्रों के माध्यम से मोबाइल लेन-देन का भी उपयोग करने की योजना है।
- **PMJDY तहत लाभ:**
  - **PMJDY खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है** तथा जमा राशि पर ब्याज भी अर्जित किया जाता है।
    - **PMJDY खाताधारक** को **रुपे डेबिट कार्ड** प्रदान किया जाता है।
  - पात्र खाताधारकों को **10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा** उपलब्ध है।
- **PMJDY का दायरा:**
  - **PMJDY खाताधारक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT),** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के पात्र हैं।

- **PMJDY के तहत बीमा सुविधा:**
  - यह अपने खाताधारकों को बीमा कवर प्रदान करता है।
    - **जीवन बीमा कवर: PMJDY** खाताधारक **2 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर** के लिये पात्र हैं जो **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)** के तहत प्रदान किया जाता है।
    - **दुर्घटना बीमा कवर: PMJDY** खाताधारक **2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर** के लिये भी पात्र हैं जो **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)** के तहत प्रदान किया जाता है।
  - **PMJJBY** और **PMSBY** दोनों बीमा कवर **330 रुपए प्रतिवर्ष** और **12 रुपए प्रतिवर्ष** क्रमशः मामूली प्रीमियम पर प्रदान किये जाते हैं।
    - इन बीमा कवरों के लिये प्रीमियम वार्षिक आधार पर **PMJDY खाताधारक** के खाते से स्वचालित रूप से डेबिट हो जाता है।
    - मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिये दुर्घटना बीमा कवर सभी PMJDY खाता धारकों को दिया जाता है, जिनमें से 50% से अधिक महिलाएँ हैं। खाताधारकों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है।
  - **शर्त:**
    - दुर्घटना बीमा का लाभ उठाने के लिए मुख्य शर्त यह है कि लाभार्थी ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले कार्ड का उपयोग करके कम-से-कम एक सफल लेन-देन (वित्तीय या गैर-वित्तीय) किया हो। हालाँकि यह स्थिति फाइलिंग दावों को कठिन बनाती है।
- **PMJDY के समक्ष चुनौतियाँ:**
  - **जागरूकता की कमी:** सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियानों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग PMJDY के लाभों से अवगत नहीं हैं। यह भागीदारी की कमी को इंगित करता है और कार्यक्रम के प्रभाव को सीमित करता है।
  - **सीमित बुनियादी ढाँचा:** कई दूरस्थ क्षेत्रों में ATM और बैंक शाखाओं सहित पर्याप्त बैंकिंग बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे लोगों के लिये वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बनाना मुश्किल हो जाता है।
  - **सीमित संसाधन:** बहुत से लोग जो PMJDY के लिये पात्र हैं, उनके पास बैंक खाते खोलने हेतु ID प्रमाण, पता प्रमाण एवं आय प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते हैं। यह कार्यक्रम की पहुँच को सीमित करता है और इसकी प्रभावशीलता को कम करता है।
  - **नकद लेन-देन पर निर्भरता:** देश के कई हिस्सों में लोग अभी भी अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिये नकद लेन-देन पर निर्भर हैं। यह डिजिटल भुगतान के उपयोग को सीमित करता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में PMJDY की प्रभावशीलता को कम करता है।
- **भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिये अन्य पहलें:**
  - डिजिटल पहचान (आधार)
  - वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय केंद्र (NCFE)
  - वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना
  - ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार
  - डिजिटल भुगतान का प्रचार

आगे की राह

- सरकार डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने के अतिरिक्त कार्यक्रम के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग कर सकती है, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में जहाँ सूचनाओं तक लोगों की पर्याप्त पहुँच नहीं है।
- यह वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिये दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक बैंक शाखाओं और ATM स्थापित करने का भी कार्य कर सकती है।
- साथ ही इस कार्यक्रम के तहत बैंक खाते खोलने के लिये आवश्यक दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- ऐसे मामलों में जिसमें लाभार्थी यह साबित कर सकता है कि वह बीमारी अथवा यात्रा जैसे कारणों की वजह से उस समय अवधि के दौरान कार्ड का उपयोग करने में असमर्थ था, **सरकार इस शर्त पर छूट दे सकती है कि उक्त व्यक्ति ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले कार्ड का उपयोग करके कम-से-कम एक सफल लेन-देन किया हो।**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

??????:

प्रश्न. बैंक खाते से वंचित लोगों को संस्थागत वित्त के दायरे में लाने के लिये प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के गरीब वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिये इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि के लिये उचित तर्क दीजिये। **(2016)**

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/insurance-claims-under-pmjdy